

न्यायालय: सत्र न्यायाधीश गाजियाबाद।

उपस्थित: (अनिल कुमार-**X**) (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण सं०..... 768/2023

सरकार

बनाम

मनीष उर्फ मन्नू

अंतर्गत धारा-302 भा०द०सं०,4/25 आयुध अधि०

थाना-क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद।

मु० अ० सं०-312/2023

मैमोरेण्डम

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त मनीष उर्फ मन्नू जिला कारागार से मय अधिवक्ता उपस्थित आया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्क आरोप सृजित किये जाने के बिंदु पर सुने गये एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा-302 भा०द०सं० एवं आयुध अधिनियम की धारा-4/25 के अंतर्गत आरोप विरचित किए जाने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सृजित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 12-02-2024 को पेश हो। अभियोजन साक्षीगण तलब हों।

दिनांक 29.01.2024

(अनिल कुमार-**X**)

सत्र न्यायाधीश

गाजियाबाद।